न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 231/2016 **दायरा दिनांक : 30.05.2016**

उनवान

1— हीरालाल उम्र 60 साल । पिसरान श्री रामनाथ उर्फ
2— रतनीबाई उम्र 46 साल । जगन्नाथ अकवाम बैरवा
3— श्रीमती गुलाबबाई उम्र 63 साल । निवासीगण बड़गांव, तहसील
4— कमला उम्र 50 साल । अन्ता, जिला बारां
5— गीता उम्र 38 साल ।

.... अपीलांट

बनाम

1— चतुर्भुज । पिसरान छीत्या उर्फ छोट्या, जाति
2— श्रवण । चमार, निवासीगण थारला खेड़ली,
3— घनश्याम । तहसील दीगोद, जिला कोटा
4— मुस0 भूलीबाई बेवा ।
5— कल्याणी पुत्री सरवन । जाति चमार, निवासी ग्राम बड़गांव
6— छोटू पुत्र रामरतन । तहसील अन्ता, जिला बारां
7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरविन्द हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :16.05.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्तर के प्रकरण संख्या – 292/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पिता श्री जगन्नाथ द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था । दौराने दावा श्री जगन्नाथ का स्वर्गवास हो गया जिसमें अपीलांट को कायम मुकामान नियुक्त किया गया । निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ, कानून एवं विधि न्याय तथा संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं प्रतिवादी ने बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य पूर्ण रूप से प्रस्तुत कर दी थी और वादी को नवीन दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विपरीत मनमाने तरीके से एवं मिलीभगत करके निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित नहीं कर त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2015 अपास्त निरस्त की जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.05.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । पत्रावली नवीन दस्तावेज पेश करने के अभाव में खारिज की गई है, जो तर्क संगत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–08–2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा